बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक–................................/पटना, दिनांक–................

सं0सं0– 4तक0/बिहार व्यापार विकास कोष/05/2017

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 योजनान्तर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर हेतु रु0 4.00 करोड़ (चार करोड़ रूपये) व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर हेतु रु0 4.00 करोड़ (चार करोड़ रूपये) व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अधीन भूखण्ड में आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं विकास किया जाना है जिससे उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को भूमि की सुविधा प्रदान किया जा सके। इस योजनान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर हेतु रु0 4.00 करोड़ उपलब्ध करायी जानी है ताकि औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन एवं विकास किया जा सके।

3. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852801020163 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0163.52.02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य मद में उपबंधित रु0 12.00 करोड़ (बारह करोड़ रुपये) की राशि से की जायेगी जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/RTGS के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना को उपलब्ध करायेंगे। बियाडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त कर विभागीय स्वीकृति के उपरान्त इसका कार्यान्वयन किया जायेगा।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/DC विपत्र प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. इस राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8284 दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनांक 18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

8. योजना प्रस्ताव पर दिनांक 23.03.2018 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. इस राज्यादेश में संचिका संख्या–4तक0/बिहार व्यापार विकास कोष/05/2017 के पृ0–25/टि0 पर दिनांक 27.03.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2; पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

12. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

विश्वासभाजन

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/बिहार व्यापार विकास कोष/05/2017
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/बिहार व्यापार विकास कोष/05/2017
प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– ..../पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/बिहार व्यापार विकास कोष/05/2017
प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 501 /पटना, दिनांक— 27.03.18

सं0सं0— 4तक0/बिहार व्यापार विकास कोष/05/2017

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।